

क्रमांक :- प.4(102)वित्त-1(1)आय.व्य/2020

जयपुर, दिनांक : 05/07/2021

स्वीकृति संख्या-112/2021-22

कोषाधिकारी  
बारां (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 0.04 लाख मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक एफ.6/सीटीएडी/लेखा/प्रस्ताव/सी.एस.एस./2020-21 (स्वीकृति संख्या 02/2021-22) जयपुर दिनांक 29.06.2021 में अंकित कार्यों एवं शर्तों के अनुसार, कलक्टर एवं अध्यक्ष, सहरिया विकास समिति, शाहबाद (बारां) के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 0.04 लाख (अक्षरे रूपये चार हजार) मात्र निम्नांकित बजट मद को प्रभारित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे।

क्रम संख्या	बजट मद (केन्द्रीय सहायता)	राशि (लाख रूपयों में)
1.	2225-02-796-(19)-[06]- 12 सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	0.04

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

-sd/

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

A.O.TAD

21/7  
2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

Wsp/kr/

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)